राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :—3156/2022

डॉ. रेखा जैन

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान सचिवालय, जयपुर।
3. डॉ. महेन्द्र कुमार, वर्तमान पदस्थापन अपीलार्थी के स्थान पर राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, मुबारिकपुर, अलवर।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 06.09.2022

उपस्थित

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
एम.एस. काला, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण), अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की जाती है।
2. अपीलार्थी आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थापित है। अपीलार्थी द्वारा यह संशोधित अपील प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 18.07.2022 एवं दिनांक 30.08.2022 (अनुलग्नक—1 व 2) को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गयी है।
3. अपीलार्थी का अपील में अभिकथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 18.07.2022 (अनुलग्नक—1) द्वारा उसका स्थानान्तरण/पदस्थापन राजकीय आयुर्वेद औषधालय, मुबारिकपुर, अलवर से राजकीय आयुर्वेद औषधालय, माछरोली, किशनगढवास, अलवर में किया गया है। अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश की पालना में कार्य ग्रहण नहीं किया गया। इसके पश्चात् आदेश

दिनांक 30.08.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन राजकीय आयुर्वेद औषधालय, माछरोली, किशनगढ, जिला अलवर में दर्शाते हुए राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, भनोखर अलवर में किया गया है, जो बिना विवेक का प्रयोग किये हुए जारी किया गया है। अपीलार्थी 40 प्रतिशत से अधिक निशक्त है, जो अनुलग्नक–3 से स्पष्ट है। ऐसे में निशक्तजन महिला का स्थानान्तरण किया जाना उचित नहीं है। अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 18.07.2022 एवं 30.08.2022 को अपास्त किया जावे।

4. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी, जिसमें उन्होंने अपने अभिवचनों की पुनरावृति की। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन कर मनन किया गया।

5. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेखों एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 18.07.2022 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण/पदस्थापन राजकीय आयुर्वेद औषधालय, माछरोली, किशनगढवास, अलवर में किया गया है। इसके पश्चात् आदेश दिनांक 30.08.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन राजकीय आयुर्वेद औषधालय, माछरोली, किशनगढ, जिला अलवर से राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, भनोखर अलवर में किया गया है। अपील के साथ प्रस्तुत अनुलग्नक–3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग है। अतः प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी दिनांक 28.09.2022 तक विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें।

6. उक्तानुसार अपीलार्थी के अभ्यावेदन को सक्षम प्राधिकारी के द्वारा निस्तारित किये जाने तक प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलोच्य आदेश दिनांक 18.07.2022 एवं 30.08.2022 (अनुलग्नक–1 व 2) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी के सम्बन्ध में स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।
7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(एम.एस.काला)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)